

2023/781

2/2000 4, 000

2023/781

234  
123

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ राज.

क्रमांक:- भू.अ./2016/

दिनांक:- / /2016

प्रेषिति,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय  
चित्तौडगढ

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री सुकुबार्ड मिता प्रमराज नि.  
सुरजन प.ह. नेमलपुर के राजस्व ग्राम सुरजन में जमाबन्दी संवत् 2078-81  
की खाता संख्या 190 में जाति/नाम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.  
ने सम्मानजनक जाति/नाम सुकुबार्ड किये जाने की रिपोर्ट की है।  
सम्मानजनक जाति/नाम सुकुबार्ड का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जा  
उचित है। दोनों जातियां (पूर्व एवं वर्तमान संशोधन से संबंधित जाति) अनुसूचित जा.  
श्रेणी के ही अन्तर्गत आती है/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है।  
जाति संशोधन की स्थिति में राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42  
(बी) का उल्लंघन भी नहीं होता है। अतः संशोधन किया जाना उचित है।

  
तहसीलदार चित्तौडगढ

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ राज.

क्रमांक:- शीडर/2016/

दिनांक:- / /2016


निमित्त,

पटवार हल्का नेमलपुर

विषय:- सम्मानजनक जाति/नाम दर्ज करने बाबत।  
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 136  
प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/प्रार्थीयान के अनुसार श्री सुकुबार्ड मिता प्रमराज  
राजस्व ग्राम सुरजन प.ह. नेमलपुर की खाता संख्या 190 में  
जाति/नाम सुकुबार्ड दर्ज है। जिसे सम्मानजनक करने हेतु रिपोर्ट जांच व  
प्रहचान प.ह. व भू.अ.नि. द्वारा की गई है। तहसीलदार चित्तौडगढ द्वारा भी जाति/नाम  
सम्मानजनक किये जाने की अनुशंसा प्राप्त हुई है।  
अतः प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री सुकुबार्ड मिता प्रमराज  
जाति/नाम सुकुबार्ड एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत संशोधित दर्ज  
करने की स्वीकृत एतद् द्वारा दी जाती है। प.ह. नेमलपुर राजस्व रिकार्ड में  
उपरोक्तानुसार अमल की पालना पेश करे।

  
उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौडगढ

प्रतिलिपि:- तहसीलदार चित्तौडगढ पालना सुनिश्चित करे।

  
उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौडगढ